

कार्यालय:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर (म.प्र.)

// आदेश //

क्रमांक 30 / दो-22-1 / 86

सीहोर, दिनांक : 31/05/24

इस न्यायिक जिले में निम्नांकित न्यायिक अधिकारीगण को उनके नाम के सम्मुख कॉलम 3 में वर्णित दिनांकों का वर्ष 2024 के लिये ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृत किया जाता है, उनके न्यायालय के आवश्यक कार्य का प्रभार कॉलम नं.6 में दर्शाए अनुसार पदाधिकारी के पास रहेगा:-

| क्रं. | अधिकारी का नाम एवं पद | स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश | कुल अवकाश | पूर्ववर्ती/पश्चात्वर्ती अवकाश एवं मुख्यालय अनुमति | अनुपस्थिति में प्रभार |
|-------|--|---|-----------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | श्री हेमंत जोशी, विशेष न्यायाधीश, (एट्रोसिटी) सीहोर | दि. 18.06.24 से 28.06.24 तक | 11 दिवस | दि. 18.06.24 से दिनांक 29.06.24 के न्यायालय समय पूर्व तक | 1-प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर 2-तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर 3-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर 4-उक्त की अनुपस्थिति में तहसील न्यायालय आष्टा में उपस्थित वरिष्ठतम् न्यायाधीश। |
| 2 | श्री संजय गोयल, प्रथम जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश, सीहोर | दि. 10.06.24 से 14.06.24 तक एवं 21.06.24 से 28.06.24 तक | 13 दिवस | दि. 10.06.24 से 14.06.24 तक एवं 21.06.24 से 28.06.24 तक | 1-विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी), सीहोर 2-तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर 3-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर 4-उक्त की अनुपस्थिति में तहसील न्यायालय आष्टा में उपस्थित वरिष्ठतम् न्यायाधीश। |
| 3 | श्री अभिलाष जैन, तृतीय जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश, सीहोर | दि. 03.06.24 से 08.06.24 तक एवं 18.06.24 से 22.06.24 तक | 11 दिवस | दि. 09 एवं 15,16 व 17.06.24 तक | 1-प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर 2-विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी), सीहोर 3-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर 4-उक्त की अनुपस्थिति में तहसील न्यायालय आष्टा में उपस्थित वरिष्ठतम् न्यायाधीश। |
| 4 | श्रीमती शिप्रा पटेल, प्रथम जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश, आष्टा | दि. 03.06.24 से 14.06.24 तक | 12 दिवस | दि. 02.06.24 से 14.06.24 तक | 1-विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी), सीहोर 2-प्रथम जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश, सीहोर 3-तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर 4-द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, नसरुल्लागंज, |
| 5 | श्री उमेश कुमार पटेल, द्वितीय जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश, आष्टा | दि. 03.06.24 से 14.06.24 तक | 12 दिवस | दि. 02.06.24 से 14.06.24 तक | 1-विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी), सीहोर 2-प्रथम जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश, सीहोर 3-तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर 4-द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, नसरुल्लागंज, |

| क्रं. | अधिकारी का नाम एवं पद | स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश | कुल अवकाश | पूर्ववती/पश्चात्वर्ती अवकाश एवं मुख्यालय अनुमति | अनुपस्थिति में प्रभार |
|-------|---|-----------------------------|-----------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | श्री रवीन्द्र कुमार शर्मा, द्वितीय जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश, नसरुल्लागंज | दि. 18.06.24 से 28.06.24 तक | 11 दिवस | दि. 14.06.24 के न्यायालय समय पश्चात् से दिनांक 29.06.24 के न्यायालय समय पूर्व तक | 1-जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, बुदनी 2-उक्त की अनुपस्थिति में मुख्यालय सीहोर में उपस्थित वरिष्ठतम् न्यायाधीश एवं उक्त की अनुपस्थिति में तहसील न्यायालय आष्टा में उपस्थित वरिष्ठतम् न्यायाधीश। |
| 7 | डॉ. वैभव विकास शर्मा, जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश, बुदनी | दि. 03.06.24 से 14.06.24 तक | 12 दिवस | दि. 01.06.24 के न्यायालय समय पश्चात् से दिनांक 18.06.24 के न्यायालय समय पूर्व तक | 1-द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, नसरुल्लागंज 2-उक्त की अनुपस्थिति में मुख्यालय सीहोर में उपस्थित वरिष्ठतम् न्यायाधीश |

नोट:-

1- उपरोक्त कार्यव्यवस्था अनुसार कॉलम न0-2 में उल्लेखित जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश का प्रभार कॉलम न0-6 के क्रम में उल्लेखित जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश के पास रहेगा और यदि किसी अपरिहार्य कारण से कॉलम न0-6 में उल्लेखित जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है तो तहसील एवं जिला मुख्यालय सीहोर में उपलब्ध वरिष्ठतम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश के पास कॉलम न0-2 में उल्लेखित जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश का प्रभार होना स्वतः माना जायेगा।


2- उपरोक्त जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश द्वारा उक्त वर्णित ग्रीष्मकालीन अवकाश के अलावा ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि (03.06.2024 से 28.06.2024 तक) में यदि कोई अन्य अवकाश का उपभोग किया जाता है तो वे पूर्व अनुमति के बिना ऐसे किसी अन्य अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।

3- ग्रीष्मकालीन अवकाश का उपभोग करने हेतु जाने वाले जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे अवकाश का उपभोग प्रारंभ करने के पूर्व यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि कार्यव्यवस्था के अंतर्गत उनके नाम के सम्मुख कॉलम न0-6 में दर्शित जिला एवं अति.सत्र न्यायाधीश मुख्यालय में उपस्थित हो चुके हैं।

4- ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि में उपरोक्त वर्णित जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश में से किसी भी न्यायिक अधिकारी का स्थानांतरण होने पर उनके स्थान पर पदस्थापित होने वाले जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश का नाम (मात्र कॉलम न0-6 प्रभार के कॉलम में) उस न्यायिक अधिकारी के नाम के समक्ष स्वतः प्रतिस्थापित माना जायेगा जिनके स्थान पर नवीन पदस्थापित जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश द्वारा पदभार ग्रहण किया गया है।

5- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीहोर के ग्रीष्मकालीन अवकाश की अवधि में उनके न्यायालय का कार्य मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर एवं इनकी अनुपस्थिति में तहसील न्यायालय में उपस्थित वरिष्ठतम् जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश द्वारा संपादित किया जावेगा।

6- उक्त ग्रीष्मकालीन अवकाश अवधि में सिविल प्रकृति का आवश्यक कार्य सिविल कार्य विभाजन आदेश क्रमांक 17 दिनांक 29.04.2024 के अनुसार संपादित किया जावेगा।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीहोर (म.प्र.)

कार्यालय:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर (म.प्र.)

पृष्ठांकन क्रं. 1562 / दो-22-1 / 86,
प्रतिलिपि:-

सीहोर, दिनांक 01/06/24

- 1 विशेष न्यायाधीश(एट्रोसिटी), सीहोर
- 2 प्रथम/तृतीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर
- 3 प्रथम/द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, आष्टा
- 4 द्वितीय जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, नसरुल्लागंज
- 5 जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, बुदनी
- 6 कोर्ट मैनेजर/प्रशासनिक अधिकारी/उप-प्रशासनिक अधिकारी/लेखापाल/सहायक लेखापाल, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर
- 7 अध्यक्ष, अभिभाषक संघ सीहोर/आष्टा/नसरुल्लागंज/बुदनी
की ओर ग्रीष्मकालीन अवकाश स्वीकृति आदेश की छायाप्रति सूचनार्थ प्रेषित।
- 8 प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, सीहोर की ओर इस निर्देश के साथ की प्रेषित की, उक्त आदेश माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के समक्ष अवलोकन हेतु प्रस्तुत करें।
जे.एस.ए., कम्प्यूटर अनुविभाग, सीहोर की ओर उक्त आदेश की छायाप्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित की वह उक्त समस्त न्यायिक अधिकारियों को उनकी ई-मेल आई. पर प्रेषित करें।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सीहोर (म.प्र.)

